



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072026-274669
CG-DL-E-23072026-274669

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3794]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 20, 2026/आषाढ 29, 1948

No. 3794]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 20, 2026/ASHADHA 29, 1948

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली 16 जुलाई, 2026

का.आ. 3962(अ).— चूंकि दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा यथा अपेक्षित प्रकाशित किया गया था, इसे एतद्वारा उक्त धारा की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है; और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिस तारीख को राजपत्र की प्रतियां जिनमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा;

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, तो उन्हें श्री राम चरण मीना, अवर सचिव, भारत सरकार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, कमरा संख्या 11 ए, पांचवां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, 110003 को या rcmeena.79@gov.in पर ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है।

और चूंकि, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित सुविधाओं सहित सार्वजनिक सुविधाओं और सेवाओं के लिए सुगम्यता मानकों और दिशानिर्देशों को बाद में उक्त नियमों के नियम 15 में शामिल किया गया था;

और चूंकि, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2005 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 243 और 2006 की 228 [राजीव रतूडी बनाम भारत संघ व अन्य] में दिनांक 8 नवंबर, 2024 के अपने निर्णय द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, केंद्र सरकार को उक्त नियमों के नियम 15 के तहत निर्धारित विस्तृत दिशानिर्देशों से गैर-परक्राम्यनियमों को अलग करके

अधिनियम की धारा 40 की अपेक्षानुसार उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित करने का निर्देश दिया था, तथा क्षेत्रवार मानकों में एकरूपता और स्पष्टता की आवश्यकता पर बल दिया था;

अतः, अब, अधिनियम की धारा 40 के साथ पठित धारा 100 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

मसौदा नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों को दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2026 कहा जाएगा। (2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 15 (1) के खंड (ग) का संशोधन—दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 में, नियम 15 के उप-नियम (1) के खंड (ग) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित और संशोधित किया जाएगा:—

(ग) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों, सेवाओं, प्रलेखन और डिजिटल सामग्री के लिए सुगम्यता मानक।

(क) परिभाषाएं— जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) यहाँ प्रयुक्त और अपरिभाषित शब्द, किंतु जो अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में उनके लिए दिए गए हैं;

(ख) 'सुगम्यता अनुरूपता रिपोर्ट' (एसीआर) का तात्पर्य सुगम्यता अनुरूपता और उस सीमा का एक दस्तावेजी विवरण है जिस सीमा तक पैराग्राफ (ख) के अंतर्गत आने वाली कोई मद आईएस 17802 (भाग 1): 2021 की सुगम्यता आवश्यकताओं के अनुरूप है, जैसा कि आईएस 17802 (भाग 2): 2022 के अनुसार परीक्षण किया गया है, और इसमें सहायक स्पष्टीकरण तथा अपनाई गई परीक्षण कार्यप्रणाली शामिल है;

(ग) 'अभिलेखागारित सामग्री' का तात्पर्य उस सामग्री से है जिसे स्पष्ट रूप से अभिलेखागारित के रूप में चिह्नित किया गया है, जिसका उद्देश्य सक्रिय सार्वजनिक उपयोग या अद्यतन करना नहीं है, और जिसे केवल रिकॉर्ड के उद्देश्यों से रखा गया है;

(घ) 'बड़ा बदलाव' का तात्पर्य किसी उत्पाद, सेवा या सामग्री में किसी ऐसे अपग्रेड, परिवर्धन, या संशोधन से है जो इसकी कार्यक्षमता, प्रदर्शन, उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस, डिज़ाइन, उपयोगिता, स्वरूप या सुगम्यता विशेषताओं को इस सीमा तक भौतिक रूप से बदल देता है कि यह लागू सुगम्यता मानकों के अनुपालन को प्रभावित कर सकता है;

(ङ) 'टर्नओवर' का वही अर्थ होगा जो लागू कानून के तहत इसके लिए निर्धारित है और इसका निर्धारण ठीक पिछले वित्तीय वर्ष के संदर्भ में किया जाएगा।

स्पष्टीकरण— इन नियमों के तहत प्रयोज्यता निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए, टर्नओवर में संस्थान का समेकित टर्नओवर शामिल होगा, साथ ही ऐसे किसी भी अन्य संस्थान का टर्नओवर भी शामिल होगा जो इस संस्थान पर नियंत्रण रखता है, इसके द्वारा नियंत्रित होता है, या इसके साथ सामान्य नियंत्रण में है, जहाँ ऐसे संस्थान खंड (ख) में निर्दिष्ट वस्तुओं को भारत में व्यक्तियों को उपलब्ध कराते हैं, जिसमें प्लेटफॉर्म या मध्यवर्ती प्रणालियों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली वस्तुएं भी शामिल हैं।

(ख) दायरा और प्रयोज्यता— यह खंड प्रत्येक ऐसे संस्थान पर लागू होगा (जो भारत में सार्वजनिक या उपभोक्ता उपयोग के लिए निम्नलिखित वस्तुओं में से किसी का भी निर्माण, डिज़ाइन, विकास करती है, या उस पर निर्णायक तकनीकी नियंत्रण रखती है, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे भारत में व्यक्तियों को उपलब्ध कराती है, चाहे ऐसे संस्थान भारत के भीतर स्थित हो या भारत से बाहर, जिसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के साथ उपयोगकर्ता के इंटरैक्शन को सक्षम करने वाली स्वचालित प्रणालियाँ भी शामिल हैं):

(क) वेबसाइटें, मोबाइल एप्लिकेशन, टैबलेट एप्लिकेशन, अन्य स्पर्श-आधारित एप्लिकेशन, सॉफ्टवेयर, जिसमें प्रलेखन और सहायता सेवाएँ शामिल हैं;

(ख) सभी डिजिटल सामग्री, ऐसी सामग्री के प्रारूप, और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ जिसमें गैर-वेब दस्तावेज़ भी शामिल हैं;

(ग) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी-आधारित सार्वजनिक सुविधाएँ और सेवाएँ, जिनमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता द्वारा उपयोग की जाने वाली सूचना और संचार प्रौद्योगिकी-आधारित सेवाएँ शामिल हैं, तथा ऐसी सेवाएँ जो स्टैंडअलोनआईसीटी-आधारित उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस को अंतःस्थापित, एकीकृतया प्रदान करती हैं;

(घ) दो तरफ़ा वॉयस कम्युनिकेशनक्षमता वाले हार्डवेयर-आधारित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा वीडियो-आधारित कम्युनिकेशन क्षमता वाले हार्डवेयर-आधारित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी;

(ङ) रोजमर्रा के उपयोग के लिए अभीष्टअन्य सभी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी-आधारित हार्डवेयर तथा इलेक्ट्रॉनिक सामान और उपकरण;

(च) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी-आधारित उपभोक्ता उत्पाद;

(छ) दिव्यांगजनों द्वारा सामान्य उपयोग के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी-आधारित सहायक उपकरण; और

(ज) सार्वजनिक सुविधाओं और सेवाओं के भाग के रूप में उपयोग किए जाने वाले सूचना और संचार प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पाद, जिनमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले सूचना और संचार प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पाद शामिल हैं, तथा ऐसे उत्पाद जो स्टैंडअलोनआईसीटी-आधारित उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस को अंतःस्थापित, एकीकृतया प्रदान करते हैं।

(ग) लागू मानक— प्रत्येक संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि खंड (ख) में निर्दिष्ट सभी मॉडें भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित और समय-समय पर संशोधित निम्नलिखित भारतीय मानकों के अनुरूप हों:

(i) आईएस 17802 (भाग 1): 2021, जिसे अधिसूचना संख्या HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS(278), दिनांक 24 दिसंबर, 2021 द्वारा अधिसूचित किया गया है, और समय-समय पर यथा संशोधित किया गया है; और

(ii) IS 17802 (भाग 2): 2022, जिसे अधिसूचना संख्या HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS(358), दिनांक 4 मई, 2022 द्वारा अधिसूचित किया गया है, और समय-समय पर यथा संशोधित किया गया है।

बशर्ते कि प्रत्येक संस्थान, खंड (ग) में निर्दिष्ट मानकों के अतिरिक्त, खंड (ख) में निर्दिष्ट मद को नियंत्रित करने वाले क्षेत्रवार नियामकया सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किसी भी सुगम्यता आवश्यकताओं या दिशानिर्देशों का भी अनुपालन करेगा। इन नियमों और क्षेत्रवार मानकों/दिशानिर्देशों के बीच किसी भी असंगति की स्थिति में, उच्चतर या अधिक कड़े सुगम्यता नियम ही प्रभावी होंगे।

(घ) सुगम्यता अनुरूपता रिपोर्ट—

(1) प्रत्येक संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि खंड (ख) में निर्दिष्ट वस्तुओं के लिए एक सुगम्यता अनुरूपता रिपोर्ट (एसीआर) प्रस्तुत की जाए, चाहे वे आंतरिक रूप से विकसित की गई हों, आपूर्तिकर्ताओं या डेवलपर्स से खरीदी गई हों, या संस्थान द्वारा खंड (ङ) के उप-खंड (1) और (2) में निर्धारित समय-सीमा के अनुसार अन्यथा उपलब्ध कराई गई हों। यह सामग्री और उपयोगकर्ता-जनित सामग्रीप्लेटफ़ॉर्म के मामले में खंड (6) के तहत दिए गए स्पष्टीकरण के अधीन होगी, और खंड (ङ) के तहत स्पष्ट रूप से पहचानी गई अभिलेखागारित सामग्रीको छोड़कर होगा। एसीआर अन्य आपूर्ति किए गए प्रलेखन के साथ निःशुल्क प्रदान की जाएगी और इसे संस्थान की वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन पर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उपभोक्ता सुगम्यता अनुपालन के बारे में सूचित विकल्प चुन सकें।

(2) एसीआर मानव-पठनीयऔर मशीन-पठनीयदोनों प्रारूपों में उपलब्ध कराई जाएगी। मानव-पठनीय संस्करण को एचटीएमएलया सुगम्य पीडीएफजैसे सुगम्य प्रारूप में प्रकाशित किया जाएगा, और मशीन-पठनीय संस्करण को JSON, XML, या ऐसे अन्य प्रारूप में प्रकाशित किया जाएगा जो निगरानी और स्वचालित सत्यापन को सुगम्य बना सके। दोनों प्रारूपों में एसीआर प्रकाशित न करना इस खंड का गैर-अनुपालन माना जाएगा। किसी एसीआर के मानव-पठनीय और मशीन-पठनीय संस्करणों के बीच किसी

भी असंगति की स्थिति में, मानव-पठनीय संस्करण ही मान्य होगा, बिना इस पूर्वाग्रह के कि संस्थान दोनों संस्करणों को सटीक और सुसंगत सुनिश्चित करने के दायित्व से मुक्त नहीं होगा।

(3) एसीआर, आईएस 17802 (भाग 2): 2022 में निर्धारित अनुरूपता मानदंडों और परीक्षण प्रक्रियाओं के अनुसार किए गए परीक्षण के आधार पर, आईएस 17802 (भाग 1): 2021 के साथ अनुरूपता की सीमा का विवरण देगी। एसीआर एक मान्यता प्राप्त रिपोर्टिंग प्रारूप जैसे कि स्वैच्छिक उत्पाद सुगम्यता टेम्पलेट (VPAT), या किसी अन्य संरचित प्रारूप का पालन करेगी जैसा आईएस 17802 के तहत निर्दिष्ट किया जाए। एसीआर, प्रत्येक समय, आईएस 17802 के सबसे हाल के संस्करणों के अनुरूप होगी।

(4) एसीआर, आईएस 17802 में विनिर्दिष्ट श्रेणियों और शब्दावली के अनुसार प्रत्येक लागू आवश्यकता के लिए अनुरूपता का एक विस्तृत विवरण प्रदान करेगी। सहायक स्पष्टीकरणों में, जहाँ भी प्रासंगिक हो, विशिष्ट परीक्षण परिणामों, उपयोग की गई विधियों, या अनुरूपता के दावे के सत्यापन को सक्षम करने के लिए पर्याप्त उदाहरणों के संदर्भ शामिल होंगे। प्रत्येक एसीआर अपनाई गई परीक्षण कार्यप्रणाली का भी खुलासा करेगी, जिसमें यह भी शामिल होगा कि क्या स्वचालित परीक्षण, मैन्युअल निरीक्षण, और/या सहायक तकनीक परीक्षण किया गया था, तथा ऐसी कार्यप्रणाली का दायरा और सीमाएँ क्या थीं। सहायक स्पष्टीकरण आवश्यकता-विशिष्ट होने चाहिए और इसमें अनुरूपता के सामान्य या व्यापकविवरण शामिल नहीं होंगे।

(5) प्रत्येक संस्थान, खंड (ख) में उल्लिखित किसी भी मद के परिनियोजनया प्रारंभ करने से पहले, सटीकता, पूर्णता और नवीनतम बीआईएसमानकों के अनुसार अनुरूपता के लिए, प्रत्येक एसीआर की समीक्षा और सत्यापन करने के लिए जिम्मेदार होगा, चाहे वह इस खंड के उप-पैराग्राफ (1) के तहत शुरू में प्रस्तुत की गई हो या इस खंड के उप-पैराग्राफ (6) के तहत अद्यतनकी गई हो। संस्थान इस तरह की समीक्षा के आधार पर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी पहचानी गई गैर-अनुरूपता को जारी करने से पहले ठीक कर लिया जाए। ऐसी उचित तत्परताके बिना किसी आपूर्तिकर्ता या डेवलपर की एसीआर पर भरोसा करना संस्थान को इस खंड के तहत दायित्व से मुक्त नहीं करेगा।

(6) एसीआर को अद्यतितरखा जाएगा, और जब भी खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी भी मद में कोई बड़ा बदलाव होता है जो सुगम्यता को प्रभावित कर सकता है, तो आईएस 17802 के नवीनतम संस्करणों के विरुद्ध सुगम्यता अनुरूपता का पुनः परीक्षण किया जाएगा। एसीआर का ऐसा पुनः परीक्षण और अद्यतनीकरण अपग्रेड या संशोधित मद के परिनियोजन से पहले पूरा किया जाएगा। अद्यतन की गई एसीआर में संशोधन की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित होगी। जहाँ कोई संस्थान यह निर्धारित करता है कि कोई बदलाव एक बड़ा बदलाव नहीं है, वह ऐसे मूल्यांकन के अभिलेख बनाए रखेगा और अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उन्हें उपलब्ध कराएगा। ऐसे अभिलेख बनाए रखने या प्रस्तुत करने में विफलता को इस खंड का गैर-अनुपालन माना जाएगा। बशर्ते कि, किसी भी स्थिति में, प्रत्येक संस्थान अंतिम एसीआर की तिथि से कम से कम दो वर्ष में एक बार एसीआर की नई समीक्षा, परीक्षण और अद्यतनीकरण करेगी, भले ही कोई बड़ा बदलाव न हुआ हो।

स्पष्टीकरण—इस खंड के उद्देश्यों के लिए, सामग्रीके संबंध में एसीआर प्रस्तुत करने का दायित्व अंतर्निहित प्रणाली, प्लेटफॉर्म, सामग्री प्रबंधन प्रणाली, वीडियो पब्लिशिंग वर्कफ़्लो, या ऑथरिंग टूलपर लागू होगा जो सामग्री (गैर-वेब दस्तावेजों सहित) उत्पन्न या निर्यात करता है, न कि सामग्री की प्रत्येक व्यक्तिगत मद पर, बशर्ते कि ऐसी प्रणाली, प्लेटफॉर्म या टूल के माध्यम से उत्पन्न सामग्री खंड (ग) में अधिसूचित मानकों और लागू क्षेत्रवार दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, के अनुसार सुगम्य बनाई गई हो।

उपयोगकर्ता-जनित सामग्रीप्लेटफॉर्म के मामले में, एसीआर प्रस्तुत करने का दायित्व प्लेटफॉर्म पर लागू होगा न कि उपयोगकर्ता-जनित सामग्री की प्रत्येक व्यक्तिगत मद पर। प्लेटफॉर्म यह सुनिश्चित करेगा कि वह सुगम्यता सुविधाओं (जैसे कैप्शन, ट्रांसक्रिप्ट, वैकल्पिक पाठ, ऑडियो विवरण और सुगम्य प्रारूप, जिसमें दस्तावेजों के लिए, संरचित या टैग की गई सामग्री और तार्किक पठन क्रमशामिल हैं) को अंतःस्थापितकरने की क्षमता प्रदान करता है, और अपलोड के समय उपयोगकर्ताओं को सुगम्य सामग्री उत्पन्न करने के लिए सूचित और निर्देशित करने के लिए उचित कदम उठाएगा। प्लेटफॉर्म अपने एसीआर में उन उपायों और उपकरणों का भी खुलासा करेगा जो वह उपयोगकर्ता-जनित सामग्री की सुगम्यता का समर्थन करने के लिए प्रदान करता है।

बशर्ते कि जहाँ ऐसी क्षमता इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि तक पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, प्लेटफॉर्म इन नियमों की अधिसूचना की तिथि से छः महीने की अवधि के भीतर आवश्यक सुविधाएँ लागू करेगा।

(7) प्रत्येक संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि सुगम्यता अनुरूपता रिपोर्ट उन व्यक्तियों या संगठनों द्वारा तैयार, समीक्षित या सत्यापित की जाए जिनके पास सुगम्यता मूल्यांकन और परीक्षण में प्रमाणित क्षेत्र विशेषज्ञता हो, जिसमें खंड (ग) में संदर्भित मानकों, दिव्यांगजनों द्वारा उपयोग की जाने वाली सहायक तकनीकों और मान्यता प्राप्त सुगम्यता परीक्षण कार्यप्रणाली से परिचित होना शामिल है। ऐसे व्यक्तियों के पास डिजिटल सुगम्यता परीक्षण या मूल्यांकन में प्रासंगिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक अनुभव, या मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र होने चाहिए, जिसमें सुगम्यता के क्षेत्र में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा जारी प्रमाणपत्र शामिल हैं। एसीआर तैयार, सत्यापित या समीक्षित करने वाले ऐसे व्यक्तियों और/या संगठनों के संपर्क विवरण और क्रेडेंशियल (योग्यता विवरण) को एसीआर के हिस्से के रूप में प्रकाशित किया जाएगा।

(8) सुगम्यता अनुरूपता की रिपोर्टिंग का प्रारूप इन नियमों की अधिसूचना की तिथि से 90 दिनों की अवधि के अंदर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आईएस 17802 के हिस्से के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।

(ड) गैर-परक्राम्य सुगम्यता मानक और समय-सीमा—

(1) पांच सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक का टर्नओवर रखने वाले सभी संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि खंड (ख) के उप-खंड (क), (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट सभी मदों के संबंध में, वे इन नियमों के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अंदर अनुसूची 1 में निर्दिष्ट अनुसार आईएस 17802 (भाग 1): 2021 के खंडों का अनुपालन करें। पांच सौ करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले सभी संस्थान इन नियमों के प्रकाशन की तिथि से अट्ठारह महीने की अवधि के अंदर उक्त अनुसूची का अनुपालन करेंगे।

(2) पांच सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक का टर्नओवर रखने वाले सभी संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि खंड (ख) के उप-खंड (घ), (ङ), (च), (छ) और (ज) में निर्दिष्ट सभी मदों के संबंध में, वे इन नियमों के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर अनुसूची II में निर्दिष्ट अनुसार आईएस 17802 (भाग 1): 2021 के खंडों का अनुपालन करें। पांच सौ करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले सभी संस्थान इन नियमों के प्रकाशन की तिथि से अट्ठारह महीने की अवधि के अंदर उक्त अनुसूची का अनुपालन करेंगे।

अपवाद.—अभिलेखागारित सामग्री को इस खंड के अनुपालन से छूट दी जाएगी, बशर्ते कि ऐसी सामग्री की स्पष्ट रूप से अभिलेखागारित के रूप में पहचान की गई हो और वह सक्रिय सार्वजनिक उपयोग या अद्यतन के लिए अभीष्ट न हो।

(3) कोई भी सरकारी संस्थान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खंड (ख) के अंतर्गत आने वाली किसी भी मद की खरीद, परिनियोजन, अपग्रेड या नवीनीकरण तब तक नहीं करेगा, जब तक कि ऐसी मदें इन नियमों के खंड (ग) में संदर्भित सुगम्यता मानकों का अनुपालन न करती हों। बशर्ते कि प्रत्येक सरकारी संस्थान, इन नियमों के प्रकाशन की तिथि से नब्बे दिनों की अवधि के अंदर, इन नियमों और खंड (ग) में निर्दिष्ट मानकों के अनुसार सुगम्यता आवश्यकताओं को अनिवार्य शर्तों, तकनीकी विशिष्टताओं और मूल्यांकन मानदंडों के रूप में शामिल करने के लिए, जहाँ भी लागू हो, अपनी खरीद नीतियों, निविदा दस्तावेजों, प्रस्तावों के लिए अनुरोध, अनुबंधों और संबंधित प्रक्रियाओं की समीक्षा और संशोधन करेगी।

(4) **अनुपालन के लिए अधिकतम समय सीमा—**अधिनियम की धारा 46 के अनुपालन के उद्देश्यों के लिए, सभी संस्थान इन नियमों के प्रकाशन की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर अनुच्छेद (ग) में संदर्भित सुगम्यता मानकों का पूरी तरह से अनुपालन करेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि इन नियमों और किन्हीं दिशानिर्देशों या मानकों के बीच किसी भी असंगति के मामले में, ये नियम उस असंगति की सीमा तक प्रभावी होंगे।

(च) गैर-अनुपालन के परिणाम, प्रवर्तन और दंड—

(1) जहाँ कोई संस्थान इन नियमों का अनुपालन करने में विफल रहता है, वहाँ ऐसे संस्थान अधिनियम के तहत प्रावधानित जुर्माने के लिए उत्तरदायी होंगे, जो किसी अन्य प्रभावी कानून के तहत की जाने वाली किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

(2) उप-पैराग्राफ (1) के तहत किसी भी कार्रवाई के अतिरिक्त, मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त या राज्य दिव्यांगजन आयुक्त, परिस्थिति के अनुसार, के पास इस तरह के गैर-अनुपालन की जांच करने और अधिनियम की धारा 89 के तहत निर्धारित जुर्माना लगाने का क्षेत्राधिकार होगा। क्षेत्रीय नियामक (सेक्टरल रेगुलेटर्स) अपने संबंधित वैधानिक ढांचे के तहत दंड, प्रतिबंध या सुधारात्मक उपाय भी लागू कर सकते हैं, उन मामलों में जहाँ मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त या राज्य दिव्यांगजन आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा उप-पैराग्राफ (1) के तहत जुर्माना लगाए जाने के बावजूद लगातार गैर-अनुपालन जारी रहता है।

(3) गैर-अनुपालन पाए जाने वाले प्रत्येक संस्थान के लिए, किसी भी दंड या जुर्माने (जैसी भी स्थिति हो) के अतिरिक्त, सक्षम प्राधिकारी के आदेश की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर ऐसे गैर-अनुपालन में सुधार करना आवश्यक होगा। इस उप-पैराग्राफ के तहत सुधार में एक अद्यतित एसीआर प्रदान करने की बाध्यता शामिल होगी।

(4) निर्धारित अवधि के भीतर ऐसे गैर-अनुपालन में सुधार करने में विफल रहने पर अधिनियम के तहत बढ़ा हुआ जुर्माना लगाया जाएगा, और जुर्माना लगाने के बाद भी लगातार गैर-अनुपालन जारी रहने के मामले में, संबंधित क्षेत्रीय नियामक या संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा या तो स्वतः सज्जान लेकर या मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त या राज्य दिव्यांगजन आयुक्त द्वारा की गई ऐसी सिफारिश पर, पंजीकरण, प्रमाणन, प्राधिकार, या अनुमोदन को निलंबित या रद्द कर दिया जाएगा।

(5) जहाँ खंड (ख) के तहत शामिल कोई भी मद किसी मंत्रालय, विभाग, वैधानिक प्राधिकारी, या क्षेत्रीय नियामक द्वारा लाइसेंसिंग, पंजीकरण, प्रमाणन, अनुमोदन, प्राधिकार, या नियामक मंजूरी के किसी भी रूप के अधीन है, तो ऐसा प्राधिकारी संबंधित संस्थान से इस तरह के लाइसेंस, पंजीकरण, प्रमाणन, अनुमोदन, या प्राधिकार को प्रदान करने, नवीनीकरण, या जारी रखने की शर्त के रूप में, इन नियमों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए एक सुगम्यता अनुरूपता रिपोर्ट या सुगम्यता अनुपालन वचनबंध (अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करने की मांग करेगा।

(6) जिन क्षेत्रों में पहले से कोई लाइसेंसिंग, पंजीकरण, प्रमाणन या अनुमोदन व्यवस्था मौजूद नहीं है, वहाँ संस्थान खंड (ख) के तहत शामिल मदों के संबंध में इन नियमों के पालन की पुष्टि करते हुए एक सुगम्यता अनुरूपता रिपोर्ट को, आपूर्ति किए जाने वाले दस्तावेजों के साथ या अपनी वेबसाइट या ऐप पर, जैसी भी स्थिति हो, प्रदर्शित करेगा।

(7) इन नियमों के तहत प्रस्तुत की गई किसी भी सुगम्यता अनुरूपता रिपोर्ट पर खंड (ज) में नामित नोडल अधिकारी द्वारा, या, किसी अन्य संस्थान के मामले में, वरिष्ठ प्रबंधकीय पद पर आसीन व्यक्ति जो निदेशक / नामित भागीदार या समकक्ष स्तर से नीचे का न हो, द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, वह सुगम्यता अनुरूपता रिपोर्ट की सटीकता और पूर्णता के लिए जिम्मेदार होगा, और यह पुष्टि करेगा कि खंड (ख) के तहत शामिल मदें इन नियमों के तहत निर्धारित सुगम्यता आवश्यकताओं का अनुपालन करती हैं।

(8) जहां सुगम्यता अनुरूपता रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है, या झूठी, भ्रामक, या सारतः गलत पाई जाती है, तो संबंधित मंत्रालय, विभाग, वैधानिक प्राधिकारी, या क्षेत्रीय नियामक अधिनियम या इन नियमों के तहत किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे संस्थान को नियंत्रित करने वाले लागू कानून के अनुसार संस्थान के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू कर सकता है।

(छ) गुणवत्ता नियंत्रण आदेश—

संबंधित मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को, इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर, जहां कहीं भी लागू हो, इन नियमों और इसमें निर्धारित मानकों के अनुपालन को शामिल करने के लिए संशोधित किया जाएगा।

(ज) शिकायत निवारण और अधिकारियों का पदनाम—

(1) प्रत्येक संस्थान प्रबंधन के अंग के रूप में पर्याप्त रूप से एक वरिष्ठ अधिकारी को इन नियमों के उद्देश्यों के लिए शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नामित करेगा, जो कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और सुगम्यता की कमी की शिकायतों का निवारण करेगा। ऐसे अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण सुगम्यता अनुरूपता रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) केंद्र सरकार का प्रत्येक मंत्रालय, विभाग, वैधानिक प्राधिकारी, या क्षेत्रीय नियामक निम्नलिखित को नामित करेगा—

(क) एक उप नोडल अधिकारी, जो निदेशक या समकक्ष रैंक से नीचे का न हो; और

(ख) एक मुख्य नोडल अधिकारी, जो संयुक्त सचिव या समकक्ष रैंक से नीचे का न हो,
जो इन नियमों के अनुपालन की निगरानी करेंगे।

(3) उप नोडल अधिकारी—

(क) इन नियमों के तहत अग्रेषित की गई शिकायतों की जांच करेगा और आवश्यक तथ्य-अन्वेषण करेगा;

(ख) संस्थानों से जानकारी या रिकॉर्ड मांगेगा और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए निर्देश जारी करेगा;

(ग) संबंधित मंत्रालय, विभाग, प्राधिकारी, या नियामक द्वारा विनियमित प्रतिष्ठानों द्वारा किए जा रहे अनुपालन की मॉनिटरिंग करेगा; और

(घ) उप-खंड (5) के तहत संदर्भित शिकायतों का निपटान प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिनों से की अवधि के अंदर करेगा।

(4) उप नोडल अधिकारी और मुख्य नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम और संपर्क विवरण इन नियमों के अधिसूचना की तारीख से 90 दिनों के भीतर संबंधित मंत्रालय, विभाग, प्राधिकारी, या नियामक की वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

(5) इन नियमों के गैर-अनुपालन से व्यथित कोई भी व्यक्ति प्रथमतः संबंधित संस्थान के शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क करेगा और शिकायत निवारण अधिकारी 30 दिनों के अंदर ऐसी शिकायतों का निवारण करेगा। —

(क) शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा तीस दिनों की अवधि के भीतर शिकायत का समाधान न किए जाने;
या

(ख) शिकायत निवारण अधिकारी के निर्णय से,

व्यथित व्यक्ति, ऐसी अवधि की समाप्ति या ऐसा निर्णय प्राप्त होने की तारीख से, जैसी भी स्थिति हो, तीस दिनों की अवधि के भीतर उप नोडल अधिकारी को शिकायत प्रस्तुत कर सकता है।

(6) ऐसा कोई भी व्यक्ति जो—

(क) उप नोडल अधिकारी द्वारा उप-खंड (3) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर शिकायत का समाधान न किए जाने; या

(ख) ऐसे अधिकारी के निर्णय से,

व्यथित हो, तीस दिनों की अवधि के भीतर मुख्य नोडल अधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(7) मुख्य नोडल अधिकारी—

(क) उप नोडल अधिकारी के निर्णय या समाधान न किए जाने के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करेगा;

(ख) सुगम्यता अनुपालन से संबंधित प्रणालीगत या आवर्ती (बार-बार होने वाले) मुद्दों की समीक्षा करेगा;

(ग) इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नीतिगत या अनुपालन निर्देशों सहित ऐसे निर्देश जारी करेगा; और

(घ) प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिनों से की अवधि के अंदर अपीलों का निपटान करेगा।

(8) मुख्य नोडल अधिकारी के निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति, कानून के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अधिनियम के प्रावधानों के तहत, जैसी भी स्थिति हो, मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त या राज्य दिव्यांगजन आयुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकता है।

(9) इस खंड के तहत प्रत्येक शिकायत या अपील में, जहाँ तक व्यावहारिक हो, निम्नलिखित शामिल होंगे—

(क) शिकायतकर्ता या अपीलकर्ता का नाम और संपर्क विवरण;

(ख) उस संस्थान, उत्पाद, सेवा या सामग्री (कंटेंट) की पहचान, जिसके संबंध में शिकायत की गई है;

(ग) सुगम्यता बाधा या गैर-अनुपालन का संक्षिप्त विवरण;

(घ) वह तारीख या अवधि जिसके दौरान ऐसी बाधा का सामना करना पड़ा था;

(ङ) कोई भी सहायक सामग्री या साक्ष्य, जहां उपलब्ध हो;

(च) शिकायत में चाही गई राहत; और

(छ) अपील के मामले में, की गई शिकायत की एक प्रति और प्राप्त निर्णय या प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, साथ ही ऐसी अपील के आधार, या प्रतिक्रिया प्राप्त न होने के कारण, जहां लागू हो।

(झ) समन्वय समिति —

(झ)राष्ट्रीय सुगम्यता सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) समिति—

(1) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग इन नियमों के अधिसूचना की तारीख से 90 दिनों के अंदर इन नियमों के कार्यान्वयन में समन्वय स्थापित करने के लिए संबंधित मंत्रालयों, विभागों, वैधानिक प्राधिकारियों, क्षेत्रीय नियामकों के प्रतिनिधियों और कम से कम पचास प्रतिशत दिव्यांगजनों को शामिल करके एक राष्ट्रीय सुगम्यता आईसीटी समिति का गठन करेगा।

(2) इन नियमों और अधिनियम के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राष्ट्रीय आईसीटी सुगम्यता समिति—

- (क) इन नियमों के समान कार्यान्वयन के लिए मंत्रालयों, विभागों, वैधानिक प्राधिकारियों और क्षेत्रीय नियामकों के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करेगी;
- (ख) सुगम्यता अनुरूपता रिपोर्ट, शिकायतों के डेटा और नोडल अधिकारियों से प्राप्त इनपुट के आधार पर अनुपालन प्रवृत्तियों (ट्रेंड्स) की समीक्षा करेगी और प्रणालीगत कमियों की पहचान करेगी;
- (ग) सुगम्यता अनुरूपता में किसी भी प्रणालीगत कमी को दूर करने के लिए बाध्यकारी निर्देश जारी करेगी;
- (घ) इन नियमों के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने के लिए निर्देश और मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी करेगी;
- (ङ) लागू मानकों के अनुरूप, सुगम्यता पेशेवरों, सुगम्यता लेखा परीक्षकों (एक्सेस ऑडिटर्स) और परीक्षण एजेंसियों के प्रमाणन और पैनल में शामिल करने के लिए मानक और रूपरेखा तैयार करेगी;
- (च) निर्दिष्ट किए जाने वाले मानकों और मानदंडों के आधार पर, इन नियमों के उद्देश्यों के लिए सुगम्यता पेशेवरों, सुगम्यता लेखा परीक्षकों, परीक्षण एजेंसियों, और संगठनों के एक पैनल को मंजूरी देगी और उसका रखरखाव करेगी, तथा समय-समय पर ऐसे पैनल की समीक्षा, अद्यतनीकरण या उसे वापस लेगी;
- (छ) ऐसे सांकेतिक उपकरणों (टूल्स), पद्धतियों और प्रथाओं की पहचान करेगी और उन्हें प्रकाशित करेगी जिनका उपयोग सुगम्यता मूल्यांकन, परीक्षण और खंड (ग) में निर्दिष्ट मानकों की अनुरूपता के लिए किया जा सकता है;
- (ज) अंतर-क्षेत्रीय या क्रॉस-सेक्टरल मुद्दों के समाधान की सुविधा प्रदान करेगी;
- (झ) क्षमता निर्माण और जागरूकता पहलों को बढ़ावा देगी; और
- (ञ) इन नियमों के कार्यान्वयन की स्थिति पर केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(3) राष्ट्रीय सुगम्यता आईसीटी समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होगी।

(4) राष्ट्रीय सुगम्यता आईसीटी समिति की कार्यवाही, सिफारिशें, निर्देश और परामर्श (एडवाइज़री) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे।

(ज) **आवधिक समीक्षा**— सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों, सेवाओं, प्रलेखन (डॉक्यूमेंटेशन) और डिजिटल सामग्री (कंटेंट) के लिए सुगम्यता मानकों पर नियमों की हर तीन साल में समीक्षा की जाएगी ताकि संशोधनों, यदि कोई हो, का निर्धारण किया जा सके, या पैराग्राफ (ग) में संदर्भित मानकों के संशोधन के समय इसकी समीक्षा की जाएगी।

अनुसूची I

गैर-परक्राम्य (नॉन-नेगोशिएबल) खंड (ख) के उप-खंड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट मदों के लिए सुगम्यता मानक

वेब (धारा 9, आईएस 17802 भाग 1:2021)	गैर-वेब दस्तावेज (धारा 10, आईएस 17802 भाग 1:2021)	ओपन फंक्शनलिटी वाला सॉफ्टवेयर (धारा 11, आईएस 17802 भाग 1:2021)	क्लोज्ड फंक्शनलिटी वाला सॉफ्टवेयर (धारा 11, आईएस 17802 भाग 1:2021)
9.1.1.1	10.1.1.1	11.1.1.1.1	11.1.1.1.2
9.1.2.1	10.1.2.1	11.1.2.1.1	11.1.2.1.2
9.1.2.2	10.1.2.2	11.1.2.2	11.1.2.2
9.1.2.3	10.1.2.3	11.1.2.3.1	11.1.2.3.2
9.1.3.1	10.1.3.1	11.1.3.1.2	11.1.3.1.2

9.1.3.2	10.1.3.2	11.1.3.2.1	11.1.3.2.2
9.1.3.3	10.1.3.3	11.1.3.3	11.1.3.3
9.1.4.1	10.1.4.1	11.1.4.1	11.1.4.1
9.1.4.2	10.1.4.2	11.1.4.2	11.1.4.2
9.2.1.1	—	11.2.1.1.1	11.2.1.1.2
9.2.1.2	10.2.1.2	11.2.1.2	11.2.1.2
9.2.1.4	10.2.1.4	11.2.1.4.1	11.2.1.4.2
9.2.2.1	10.2.2.1	11.2.2.1	11.2.2.1
9.2.2.2	10.2.2.2	11.2.2.2	11.2.2.2
9.2.3.1	10.2.3.1	11.2.3.1	11.2.3.1
9.2.4.1	10.2.4.2	—	—
9.2.4.2	10.2.4.2	—	—
9.2.4.3	10.2.4.3	11.2.4.3	11.2.4.3
9.2.4.4	10.2.4.4	11.2.4.4	11.2.4.4
9.2.5.1	10.2.5.1	11.2.5.1	11.2.5.1
9.2.5.2	10.2.5.2	11.2.5.2	11.2.5.2
9.2.5.3	10.2.5.3	11.2.5.3.1	11.2.5.3.2
9.2.5.4	10.2.5.4	11.2.5.4	11.2.5.4
9.3.1.1	10.3.1.1	11.3.1.1.1	11.3.1.1.2
9.3.2.1	10.3.2.1	11.3.2.1	11.3.2.1
9.3.2.2	10.3.2.2	11.3.2.2	11.3.2.2
9.3.3.1	10.3.3.1	11.3.3.1.1	11.3.3.1.2
9.3.3.2	10.3.3.2	11.3.3.2	11.3.3.2
9.4.1.1	10.4.1.1	11.4.1.1.1	—
9.4.1.2	10.4.1.2	11.4.1.2.1	11.4.1.2.2

स्पष्टीकरण—इस अनुसूची में निर्दिष्ट मानक के खंडों के संदर्भों को ऐसे मानक के नवीनतम संस्करण के संबंधित प्रावधानों के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा, जिसमें भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित कोई भी संशोधन, परिवर्तन या उसका प्रतिस्थापन शामिल है।

अनुसूची II

खंड (ख) के उप-खंड (घ), (ङ), (च), (छ) और (ज) में निर्दिष्ट मदों के लिए गैर-परक्राम्य (नॉन-नेगोशिएबल) सुगम्यता मानक

(क) आईएस 17802 (भाग 1): 2021 की धारा 6 - टू-वे (दो-तरफा) वॉयस कम्युनिकेशन क्षमता वाली हार्डवेयर-आधारित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी।

(ख) आईएस 17802 (भाग 1): 2021 की धारा 7 - वीडियो-आधारित कम्युनिकेशन क्षमता वाली हार्डवेयर-आधारित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी।

(ग) आईएस 17802 (भाग 1): 2021 की धारा 8 - उप-खंड (ङ), (च), (छ) और (ज)।

स्पष्टीकरण—इस अनुसूची में निर्दिष्ट मानक के खंडों के संदर्भों को ऐसे मानक, जिसमें भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित कोई भी संशोधन, परिवर्तन या उसका प्रतिस्थापन शामिल है, के नवीनतम संस्करण के संबंधित प्रावधानों के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।

[फा. सं. I-15/13/2026-AIC]

गिरीश सी होसुर, संयुक्त सचिव

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों, सेवाओं, प्रलेखन (डॉक्यूमेंटेशन) और डिजिटल सामग्री के लिए सुगम्यता नियमों के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी

यह मसौदा अधिसूचना भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ मामले में दिए गए निर्देशों के अनुसरण में तैयार की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया था कि वह दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 15 के तहत निर्धारित विस्तृत दिशानिर्देशों से गैर-परक्राम्य (नॉन-नेगोशिएबल) नियमों को अलग करके दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 40 के अनुसार अनिवार्य नियमों को निरूपित (तैयार) करे। माननीय न्यायालय ने दिव्यांगजनों के लिए जीवन के अधिकार के एक अभिन्न अंग के रूप में सुगम्यता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए एक-समान, प्रवर्तनीय और गैर-परक्राम्य सुगम्यता धरातल की आवश्यकता पर विचार किया।

वर्तमान संशोधन का उद्देश्य भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा प्रकाशित और समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक आईएस 17802 (भाग 1): 2021 और आईएस 17802 (भाग 2): 2022 के अनुसार, वेबसाइटों, मोबाइल एप्लिकेशनों, डिजिटल सामग्री (कंटेंट) और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और आईसीटी-आधारित उपभोक्ता उत्पादों और सार्वजनिक सुविधाओं सहित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उत्पादों और सेवाओं के लिए एक अनिवार्य सुगम्यता धरातल निर्धारित करना है।

आईसीटी उत्पादों और सेवाओं के पैमाने और विविधता को देखते हुए, यह संशोधन चरणबद्ध अनुपालन दृष्टिकोण को अपनाता है। यह न्यूनतम सुगम्यता धरातल के रूप में, जिम्मेदार संस्थान के टर्नओवर के आधार पर, निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुपालन किए जाने वाले आईएस 17802 (भाग 1): 2021 के गैर-परक्राम्य खंडों के एक सेट को निर्दिष्ट करता है। यह आगे स्पष्ट करता है कि सभी संस्थान अधिनियम की धारा 46 के तहत निर्धारित समग्र समय सीमा के भीतर संदर्भित मानकों का पूरी तरह से अनुपालन करेंगे।

यह संशोधन कवर किए गए उत्पादों और सेवाओं के लिए अनिवार्य सुगम्यता अनुरूपता रिपोर्ट (एसीआर) प्रस्तुत करने और सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करने के माध्यम से एक समान अनुपालन तंत्र भी पेश करता है, जिसमें बड़े बदलावों पर एसीआर का पुनः परीक्षण और अपडेट करने के अतिरिक्त दायित्व शामिल हैं। प्रवर्तन को अधिनियम के तहत दंड ढांचे के साथ जोड़ा गया है और यह क्षेत्रीय नियामकों और सक्षम अधिकारियों द्वारा नियामक कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना एक निश्चित अवधि के भीतर सुधार का प्रावधान करता है।

इन नियमों का उद्देश्य नियामक अस्पष्टता को कम करना, जवाबदेही को मजबूत करना, और संदर्भित बीआईएस मानकों में संशोधनों को प्रतिबिंबित करने के लिए आवधिक समीक्षा का प्रावधान करते हुए आईसीटी सुगम्यता की निरंतर निगरानी को सक्षम बनाना है।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2026

S.O. 3962(E).—Whereas the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 were published, as required by sub-sections (1) and (2) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) is hereby published as required by sub-section (1) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri Ram Charan Meena Under Secretary to the Government of India, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Room No 11 A, 5th Floor, Pandit Deen Dayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi, 110003 or by email at rcmeena.79@gov.in.

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above, will be considered by the Central Government.

And whereas accessibility standards and guidelines for public facilities and services, including relating to information and communication technology, were subsequently incorporated in rule 15 of the said Rules;

And whereas the Hon'ble Supreme Court of India, by judgment dated the 8th November, 2024 in Writ Petition (Civil) Nos. 243 of 2005 and 228 of 2006 [Rajive Raturi v. Union of India & Ors], inter alia, directed the Union Government to delineate non-negotiable rules as required by section 40 of the Act by segregating such non-negotiable rules from the expansive guidelines prescribed under rule 15 of the said Rules, and observed the need for uniformity and clarity across sectoral standards;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 100 of the Act read with section 40 thereof, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, namely:

Draft Rules

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Rules, 2026. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of clause (c) in rule 15 (1).— In the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, clause (c) in sub-rule (1) of rule 15 shall be replaced and amended as follows:—

(c) Accessibility Standards for Information and Communication Technology Products, Services, documentation and digital content.

(A) Definitions.— Unless the context otherwise requires,—

(a) expressions used and not defined herein but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act;

(b) 'Accessibility Conformance Report' (ACR) means a documented statement of accessibility conformance and the extent to which an item covered under paragraph (B) conforms with the accessibility requirements of IS 17802 (Part 1): 2021, as tested in accordance with IS 17802 (Part 2): 2022, and includes supporting explanations and the test methodology adopted;

(c) 'archived content' means content that is clearly identified as archived, is not intended for active public use or update, and is retained only for record purposes;

(d) 'major change' means any upgrade, addition, or modification to a product, service, or content that materially alters its functionality, performance, user interface, design, usability, appearance, or accessibility features to an extent that it could affect compliance with applicable accessibility standards;

(e) 'turnover' shall have the meaning assigned to it under the applicable law and shall be determined with reference to the immediately preceding financial year.

Explanation.— For the purposes of determining applicability under these rules, turnover shall include the consolidated turnover of the establishment together with that of any

establishment that exercises control over, is controlled by, or is under common control with such establishment, where such establishments make available items specified in clause (B) to persons in India, including through platforms or intermediary systems.

(B) Scope and applicability.— This clause shall apply to every establishment (which manufactures, designs, develops, or exercises decisive technical control or makes available, directly or indirectly, any of the following items to persons in India for public or consumer use, whether such establishment is located within India or outside India, including automated systems enabling user interaction with ICT):

- (a) websites, mobile applications, tablet applications, other touch-based applications, softwares, including documentation and support services;
- (b) all digital content, formats of such content, and electronic documents including non-web documents;
- (c) information and communication technology-based public facilities and services including information and communication technology-based services used by public in urban and rural areas and services which imbeds or integrates or provides standalone ICT-based user interface;
- (d) hardware-based information and communication technology with two-way voice communication capability and hardware-based information and communication technology with video-based communication capability;
- (e) all other information and communication technology-based hardware and electronic goods and equipment intended for everyday use;
- (f) information and communication technology-based consumer products;
- (g) information and communication technology-based accessories for general use by persons with disabilities; and
- (h) information and communication technology-based products used as part of public facilities and services including information and communication technology-based products used by public in urban and rural areas and products which imbeds or integrates or provides standalone ICT-based user interface.

(C) Applicable standards.— Every establishment shall ensure that all items specified in clause (B) comply with the following Indian Standards, as published by the Bureau of Indian Standards and as amended from time to time:

- (i) IS 17802 (Part 1): 2021, notified vide Notification No. HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS(278), dated the 24th December, 2021, as amended from time to time; and
- (ii) IS 17802 (Part 2): 2022, notified vide Notification No. HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS(358), dated the 4th May, 2022, as amended from time to time.

Provided that every establishment shall also comply with any accessibility requirements or guidelines notified by the sectoral regulator or competent authority governing the item specified in clause (B), in addition to the standards specified in clause (C). In the event of any inconsistency between these rules and sectoral standards / guidelines, the higher or more stringent accessibility requirement shall prevail.

(D) Accessibility Conformance Report.—

- (1) Every establishment shall ensure that an Accessibility Conformance Report (ACR) is furnished for items specified in clause (B), whether developed in-house, procured from

suppliers or developers, or otherwise made available by the establishment in accordance with the timelines prescribed in sub-paragraphs (1) and (2) of clause (E), subject to the Explanation under sub-clause (6) in the case of content and user-generated content platforms, and except in respect of archived content clearly identified as such under clause (E). The ACR shall be supplied free of cost along with other supplied documentation and shall be made available on the website/mobile application of the establishment for consumers to make an informed choice about accessibility compliance.

(2) The ACR shall be made available in both human-readable and machine-readable formats. The human-readable version shall be published in an accessible format such as HTML or accessible PDF, and the machine-readable version shall be published in a structured format such as JSON, XML, or such other format as may facilitate monitoring and automated verification. Failure to publish the ACR in both formats shall constitute non-compliance with this clause. In the event of any inconsistency between the human-readable and machine-readable versions of an ACR, the human-readable version shall prevail, without prejudice to the obligation of the establishment to ensure that both versions are accurate and consistent.

(3) The ACR shall describe the extent of conformance with IS 17802 (Part 1): 2021, as tested in accordance with the conformance criteria and test procedures set out in IS 17802 (Part 2): 2022. The ACR shall follow a recognised reporting format such as the Voluntary Product Accessibility Template (VPAT), or any other structured format as may be specified under IS 17802. The ACR shall, at all times, align with the most recent versions of IS 17802.

(4) The ACR shall provide a detailed statement of conformance for each applicable requirement in accordance with the categories and terminology specified in IS 17802. Supporting explanations shall include, wherever relevant, references to specific test results, methods used, or examples sufficient to enable verification of the conformance claim. Each ACR shall also disclose the test methodology adopted, including whether automated testing, manual inspection, and/or assistive technology testing was carried out, and the scope and limitations of such methodology. Supporting explanations shall be requirement-specific and shall not consist of generic or blanket statements of conformance.

(5) Every establishment shall be responsible for reviewing and verifying each ACR, whether furnished initially under sub-paragraph (1) of this clause or updated under sub-paragraph (6) of this clause, for accuracy, completeness, and conformity with the most recent BIS standards, prior to the deployment or launch of any item mentioned in clause (B). The establishment shall ensure, on the basis of such review, that any identified non-conformities are corrected before release. Reliance on a supplier or developer's ACR without such due diligence shall not absolve the establishment of liability under this clause.

(6) The ACR shall be kept up-to-date, and accessibility conformance shall be re-tested against the most recent versions of IS 17802, whenever there is any major change in any of the items specified in clause (B) that may affect accessibility. Such re-testing and updating of the ACR shall be completed prior to the deployment of the upgraded or modified item. The updated ACR shall clearly indicate the date of revision. Where an establishment determines that a change does not constitute a major change, it shall maintain records of such assessment and make them available for inspection by the competent authority on request. Failure to maintain or produce such records shall be deemed non-compliance with this clause. Provided that, in any event, every establishment shall undertake a fresh review,

testing, and updating of the ACR at least once in every two years from the date of the last ACR, notwithstanding that no major change has occurred.

Explanation.— For the purposes of this clause, the obligation to furnish an ACR in respect of content shall apply to the underlying system, platform, content management system, video publishing workflow, or authoring tool that generates or exports content (including non-web documents), and not to each individual item of content, provided that content generated through such system, platform, or tool is made accessible in accordance with standards notified in clause (C) and applicable sectoral guidelines, if any.

In the case of user-generated content platforms, the obligation to furnish an ACR shall apply to the platform and not to each individual item of user-generated content. The platform shall ensure that it provides the capability to embed accessibility features (such as captions, transcripts, alternative text, audio description, and accessible formats, including for documents, structured or tagged content and logical reading order), and shall take reasonable steps to inform and guide users, at the time of upload, to generate accessible content. The platform shall also disclose, in its ACR, the measures and tools it provides to support accessibility of user-generated content.

Provided that where such capability is not fully available as on the date of commencement of these rules, the platform shall implement the necessary features within a period not exceeding six months from the date of notification of these rules.

(7) Each establishment shall ensure that the Accessibility Conformance Report shall be prepared, reviewed, or verified by individuals or organisations possessing demonstrable domain expertise in accessibility evaluation and testing, including familiarity with the standards referenced in clause (C), assistive technologies used by persons with disabilities, and recognised accessibility testing methodologies. Such individuals shall possess relevant training, professional experience, or recognised certifications in digital accessibility testing or evaluation, including certifications issued by nationally or internationally recognised bodies in the field of accessibility. The contact details and credentials of such individuals and/or organizations who have prepared, verified or reviewed the ACR shall be published as part of the ACR.

(8) The format for reporting accessibility conformance shall be notified within a period of 90 days from the date of notification of these rules by the Bureau of Indian Standards as part of IS17802.

(E) Non-negotiable accessibility standards and timelines.—

(1) All establishments which have a turnover of rupees five hundred crore or more shall ensure that, with respect to all items specified in sub-clauses (a), (b) and (c), of clause (B), they comply with the clauses of IS 17802 (Part 1): 2021 as specified in Schedule I within a period of one year from the date of publication of these rules. All establishments whose turnover is less than rupees five hundred crore shall comply with the said Schedule within a period of eighteen months from the date of publication of these rules.

(2) All establishments which have a turnover of rupees five hundred crore or more shall ensure that, with respect to all items specified in sub-clauses (d), (e), (f), (g) and (h), of clause (B), they comply with the clauses of IS 17802 (Part 1): 2021 as specified in Schedule II within a period of one year from the date of publication of these rules. All establishments whose turnover is less than rupees five hundred crore shall comply with the said Schedule within a period of eighteen months from the date of publication of these rules.

Exception.— Archived content shall be exempt from compliance with this clause, provided that such content is clearly identified as archived and is not intended for active public use or update.

(3) No government establishment shall, directly or indirectly, procure, deploy, upgrade, or renew any items covered under clause (B) unless such items comply with the accessibility standards referred too in clause (C) of these rules. Provided that every Government establishment shall, within a period of ninety days from the date of publication of these rules, review and revise its procurement policies, tender documents, request for proposals, contracts, and related processes, to incorporate accessibility requirements in accordance with these rules and the standards specified in clause (C), including as mandatory conditions, technical specifications, and evaluation criteria, wherever applicable.

(4) Maximum time limit for compliance.— For the purposes of compliance with section 46 of the Act, all establishments shall comply with the accessibility standards referenced in paragraph (C) in their entirety within a period of two years from the date of publication of these rules. It is clarified that in case of any inconsistency between these rules and any guidelines or standards, these rules shall prevail to the extent of such inconsistency.

(F) Consequences of non-compliance, enforcement and penalties.—

(1) Where an establishment fails to comply with these rules, such establishment shall be liable to fine as provided under the Act, without prejudice to any action under other applicable laws in force.

(2) In addition to any action under sub-paragraph (1), the Chief Commissioner for Persons with Disabilities or the State Commissioner for Persons with Disabilities, as the case may be, shall have jurisdiction to inquire into such non-compliance and to impose fines as prescribed under section 89 of the Act. Sectoral regulators may also impose penalties, sanctions, or corrective measures under their respective statutory frameworks in cases where there is continued non-compliance despite imposition of fine under sub-paragraph (1) by the Chief Commissioner for Persons With Disabilities or the State Commissioner for Persons With Disabilities As the case may be.

(3) Every establishment found to be non-compliant shall, in addition to any penalty or fine (as the case may be), be required to remedy such non-compliance within a period not exceeding ninety days from the date of the order of the competent authority. Remediation under this sub-paragraph shall include an obligation to provide an updated ACR.

(4) Failure to remedy such non-compliance within the prescribed period shall attract enhanced fines under the Act, and in case of continued non-compliance even after imposition of fine, to suspension or cancellation of registration, certification, authorisation, or approval by the respective sectoral regulator or the concerned ministry or department either suo moto or upon such recommendation being made by the Chief Commissioner for Persons With Disabilities or the State Commissioner for Persons With Disabilities.

(5) Where any item covered under clause (B) is subject to licensing, registration, certification, approval, authorisation, or any form of regulatory clearance by a Ministry, Department, statutory authority, or sectoral regulator, such authority shall require the concerned establishment to furnish an Accessibility Conformance Report or accessibility compliance undertaking, confirming compliance with these rules, as a condition for the grant, renewal, or continuation of such licence, registration, certification, approval, or authorisation.

(6) In sectors where no prior licensing, registration, certification, or approval regime exists, the establishment shall disclose an accessibility conformance report confirming adherence to these rules in respect of items covered under clause (B) along with the documentation that is supplied or on its website or app as the case may be.

(7) Any accessibility conformance report furnished under these rules shall be signed by the nodal officer designated in clause (H), or, in the case of any other establishment, by a person holding a senior managerial position not below the level of Director / designated partner or equivalent, who shall be responsible for the accuracy and completeness of the accessibility conformance report, confirming that the items covered under clause (B) comply with the accessibility requirements prescribed under these rules.

(8) Where an Accessibility Conformance Report is not furnished, or is found to be false, misleading, or materially inaccurate, the concerned Ministry, Department, statutory authority, or sectoral regulator may initiate appropriate action against the establishment in accordance with the applicable law governing such establishment, without prejudice to any action under the Act or these rules.

(G) Quality control orders.—

The quality control orders issued by the respective ministries shall, within ninety days from the date of publication of these rules, be modified to include compliance with these rules including the standards prescribed herein, wherever applicable.

(H) Grievance redressal and designation of officers.—

(1) Every establishment shall designate a sufficiently senior officer, who is part of its management, as the Grievance Redressal Officer for the purposes of these rules, to oversee implementation and to address complaints of inaccessibility. The name and contact details of such officer shall be disclosed in the Accessibility Conformance Report.

(2) Every Ministry, Department, statutory authority, or sectoral regulator of the Central Government shall designate—

(a) a Deputy Nodal Officer, not below the rank of Director or equivalent; and

(b) a Chief Nodal Officer, not below the rank of Joint Secretary or equivalent,

to oversee compliance with these rules.

(3) The Deputy Nodal Officer shall—

(a) examine complaints escalated under these rules and undertake necessary fact-finding;

(b) seek information or records from establishments and issue directions for corrective action;

(c) monitor compliance by establishments regulated by the concerned Ministry, Department, authority, or regulator; and

(d) dispose of complaints referred under sub-clause (5) within a period not exceeding forty-five days from the date of receipt.

(4) The name, designation, and contact details of the Deputy Nodal Officer and Chief Nodal Officer shall be prominently published on the website of the concerned Ministry, Department, authority, or regulator within 90 days from the date of notification of these rules.

(5) Any person aggrieved by non-compliance with these rules shall approach the Grievance Redressal Officer of the establishment concerned in the first instance and the Grievance Redressal Officer shall redress such complaints within 30 days. —

(a) non-resolution of a complaint by the Grievance Redressal Officer within a period of thirty days; or

(b) the decision of the Grievance Redressal Officer,

may prefer a complaint to the Deputy Nodal Officer within a period of thirty days from the expiry of such period or receipt of such decision, as the case may be.

(6) Any person aggrieved by—

(a) non-resolution of a complaint by the Deputy Nodal Officer within the period specified in sub-clause (3); or

(b) the decision of such officer,

may prefer an appeal to the Chief Nodal Officer within a period of thirty days.

(7) The Chief Nodal Officer shall—

(a) hear appeals against the decision or non-resolution by the Deputy Nodal Officer;

(b) review systemic or recurring issues relating to accessibility compliance;

(c) issue such directions, including policy or compliance directions, as may be necessary to secure adherence to these rules; and

(d) dispose of appeals within a period not exceeding forty-five days from the date of receipt.

(8) Any person aggrieved by the decision of the Chief Nodal Officer may file a complaint before the Chief Commissioner for Persons with Disabilities or the State Commissioner for Persons with Disabilities, as the case may be, under the provisions of the Act, without prejudice to any other remedy available under law.

(9) Every complaint or appeal under this clause shall, as far as practicable, contain—

(a) the name and contact details of the complainant or appellant;

(b) identification of the establishment, product, service, or content in respect of which the complaint is made;

(c) a brief description of the accessibility barrier or non-compliance;

(d) the date or period during which such barrier was encountered;

(e) any supporting material or evidence, where available;

(f) relief sought in the complaint; and

(g) in the case of an appeal, a copy of the complaint made and the decision or response received, if any, together with the grounds for such appeal, or reasons for non-receipt of response, where applicable.

(I) Coordination committee.—

(I) National Accessibility ICT Committee.—

(1) The Department of Empowerment of Persons with Disabilities shall constitute a National Accessibility ICT Committee consisting of representatives of concerned Ministries, Departments, statutory authorities, sectoral regulators, and not less than fifty per cent. persons with disabilities, to coordinate implementation of these rules within 90 days from the date of notification of these rules.

(2) Without prejudice to the provisions of these rules and the Act, the National ICT Accessibility Committee shall—

- (a) facilitate coordination among Ministries, Departments, statutory authorities, and sectoral regulators for uniform implementation of these rules;
- (b) review compliance trends based on Accessibility Conformance Reports, complaints data, and inputs from Nodal Officers, and identify systemic gaps;
- (c) Issue binding directions to remedy any systemic gaps in accessibility conformance;
- (d) issue directions and standard operating procedures to guide implementation of these rules;
- (e) lay down standards and frameworks for certification and empanelment of accessibility professionals, auditors, and testing agencies, consistent with applicable standards;
- (f) approve and maintain a panel of accessibility professionals, auditors, testing agencies, and organisations for the purposes of these rules, based on such standards and criteria as may be specified, and periodically review, update, or withdraw such empanelment;
- (g) identify and publish indicative tools, methodologies, and practices that may be used for accessibility evaluation, testing, and conformance with the standards specified in clause (C);
- (h) facilitate resolution of inter-jurisdictional or cross-sectoral issues;
- (i) promote capacity-building and awareness initiatives; and
- (j) submit annual report to the Central Government on the status of implementation of these rules.

(3) The National Accessibility ICT Committee shall meet at least once every quarter.

(4) The proceedings, recommendations, directions and advisories of the National Accessibility ICT Committee shall be published on the website of the Department for Empowerment of Persons With Disabilities.

(J) Periodic review.— The Rules on Accessibility Standards for Information and Communication Technology Products, Services, documentation and digital content shall be reviewed every three years for determining amendments, if any, or at the time of modification of the standards referenced in paragraph (C).

SCHEDULE I

Non-Negotiable Accessibility Standards for items specified in sub-clauses (a), (b) and (c) of clause (B)

Web (Section 9, IS 17802 Part 1:2021)	Non-Web Documents (Section 10, IS 17802 Part 1:2021)	Software with Open Functionality (Section 11, IS 17802 Part 1:2021)	Software with Closed Functionality (Section 11, IS 17802 Part 1:2021)
9.1.1.1	10.1.1.1	11.1.1.1.1	11.1.1.1.2
9.1.2.1	10.1.2.1	11.1.2.1.1	11.1.2.1.2
9.1.2.2	10.1.2.2	11.1.2.2	11.1.2.2
9.1.2.3	10.1.2.3	11.1.2.3.1	11.1.2.3.2
9.1.3.1	10.1.3.1	11.1.3.1.2	11.1.3.1.2
9.1.3.2	10.1.3.2	11.1.3.2.1	11.1.3.2.2
9.1.3.3	10.1.3.3	11.1.3.3	11.1.3.3

9.1.4.1	10.1.4.1	11.1.4.1	11.1.4.1
9.1.4.2	10.1.4.2	11.1.4.2	11.1.4.2
9.2.1.1	—	11.2.1.1.1	11.2.1.1.2
9.2.1.2	10.2.1.2	11.2.1.2	11.2.1.2
9.2.1.4	10.2.1.4	11.2.1.4.1	11.2.1.4.2
9.2.2.1	10.2.2.1	11.2.2.1	11.2.2.1
9.2.2.2	10.2.2.2	11.2.2.2	11.2.2.2
9.2.3.1	10.2.3.1	11.2.3.1	11.2.3.1
9.2.4.1	10.2.4.2	—	—
9.2.4.2	10.2.4.2	—	—
9.2.4.3	10.2.4.3	11.2.4.3	11.2.4.3
9.2.4.4	10.2.4.4	11.2.4.4	11.2.4.4
9.2.5.1	10.2.5.1	11.2.5.1	11.2.5.1
9.2.5.2	10.2.5.2	11.2.5.2	11.2.5.2
9.2.5.3	10.2.5.3	11.2.5.3.1	11.2.5.3.2
9.2.5.4	10.2.5.4	11.2.5.4	11.2.5.4
9.3.1.1	10.3.1.1	11.3.1.1.1	11.3.1.1.2
9.3.2.1	10.3.2.1	11.3.2.1	11.3.2.1
9.3.2.2	10.3.2.2	11.3.2.2	11.3.2.2
9.3.3.1	10.3.3.1	11.3.3.1.1	11.3.3.1.2
9.3.3.2	10.3.3.2	11.3.3.2	11.3.3.2
9.4.1.1	10.4.1.1	11.4.1.1.1	—
9.4.1.2	10.4.1.2	11.4.1.2.1	11.4.1.2.2

Explanation.— References to clauses of the standard specified in this Schedule shall be construed as references to the corresponding provisions of the latest version of such standard, including any revision, amendment, or replacement thereof notified by the Bureau of Indian Standards.

SCHEDULE II

Non-Negotiable Accessibility Standards for items specified in sub-clauses (d), (e), (f), (g) and (h) of clause (B)

(a) Section 6 of IS 17802 (Part 1): 2021 - hardware-based information and communication technology with two-way voice communication capability.

(b) Section 7 of IS 17802 (Part 1): 2021 - hardware-based information and communication technology with video-based communication capability.

(c) Section 8 of IS 17802 (Part 1): 2021 -sub-clauses (e), (f), (g) and (h).

Explanation.— References to clauses of the standard specified in this Schedule shall be construed as references to the corresponding provisions of the latest version of such standard, including any revision, amendment, or replacement thereof notified by the Bureau of Indian Standards.

[F. No. I-15/13/2026-AIC]

GIRISH C. HOSUR, Jt. Secy.

Explanatory Note for Accessibility Rules for Information and Communication Technology Products, Services, documentation and digital content

This draft notification has been prepared in pursuance to the directions of the Hon'ble Supreme Court of India in *RajiveRaturi vs. Union of India*, which, inter alia, directed the Union Government to delineate mandatory rules in accordance with section 40 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) (hereinafter referred to as the 'Act') by segregating the non-negotiable rules from the expansive guidelines prescribed under rule 15 of the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 (hereinafter referred to as the 'Rules'). The Hon'ble Court observed the need for a uniform, enforceable and non-negotiable accessibility floor to secure the right to accessibility as an integral component of the right to life for persons with disabilities.

The objective of the present amendment is to prescribe a mandatory accessibility floor for information and communication technology (ICT) products and services, including websites, mobile applications, digital content and electronic documents, software, hardware and ICT-based consumer products and public facilities, in accordance with Indian Standard IS 17802 (Part 1): 2021 and IS 17802 (Part 2): 2022, as published by the Bureau of Indian Standards (BIS), as amended from time to time.

In view of the scale and diversity of ICT products and services, the amendment adopts a phased compliance approach. It specifies a set of non-negotiable clauses of IS 17802 (Part 1): 2021 to be complied with within prescribed timelines, based on the turnover of the responsible establishment, as the minimum accessibility floor. It further clarifies that all establishments shall comply with the referenced standards in their entirety within the overall timeline prescribed under section 46 of the Act.

The amendment also introduces a uniform compliance mechanism through mandatory Accessibility Conformance Reports (ACRs) to be furnished and publicly disclosed for covered products and services, with additional obligations to re-test and update ACRs upon major changes. Enforcement is aligned with the penalty framework under the Act and provides for remediation within a defined period, without prejudice to regulatory action by sectoral regulators and competent authorities.

These rules are intended to reduce regulatory ambiguity, strengthen accountability, and enable consistent monitoring of ICT accessibility, while providing for periodic review to reflect revisions to the referenced BIS standards.